

आईसीसी जजों के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध: अंतरराष्ट्रीय न्याय और “फिर कभी नहीं” की विरासत के साथ विश्वासघात

7 फरवरी और 5 जून, 2025 को, संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और विदेश सचिव मार्को रुबियो के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) को अवैध और राजनीतिकरण का आरोप लगाकर निंदा की। उन्होंने आईसीसी के मुख्य अभियोजक करीम खान और जजों सोलोमी बलुंगी बोस्सा, लूज डेल कार्मेन इबानेज़ कारान्ज़ा, रेन एडिलेड सोफी अलापिनी गंसो, और बेटी होहलर पर इजरायल के युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच में उनकी भूमिका के लिए प्रतिशोध के रूप में प्रतिबंध लगाए। इन उपायों, जिनमें संपत्ति को फ्रीज करना और यात्रा प्रतिबंध शामिल हैं, को स्पष्ट रूप से 24 नवंबर, 2024 को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए आईसीसी की कार्रवाई का बदला लेने और अवैध बस्तियों को बढ़ावा देने और गाजा में मानवीय संकट को और गंभीर करने में मंत्रियों बेजालेल स्मोट्रिच और इटामार बेन-ग्विर के खिलाफ संभावित आरोपों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह अभूतपूर्व हस्तक्षेप अदालत के संचालन को खतरे में डालता है और होलोकॉस्ट के बाद की वैश्विक प्रतिबद्धता को सार्वभौमिक जवाबदेही के लिए कमजोर करता है।

यह निबंध तर्क देता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मौखिक निंदा से आगे बढ़कर जवाबदेही लागू करनी चाहिए, जिसमें इजरायल और अमेरिका के खिलाफ आर्थिक और कूटनीतिक प्रतिबंध, डोनाल्ड ट्रम्प और मार्को रुबियो के खिलाफ आईसीसी आरोप, और अदालत और इसके अधिकारियों को अमेरिकी अतिव्यापी प्रभाव से बचाने के लिए यूरोपीय संघ के अवरोधक क़ानून को सक्रिय करना शामिल है।

गाजा में इजरायल की कार्रवाइयाँ: नरसंहार का एक मामला

1948 का नरसंहार सम्मेलन नरसंहार को उन कृत्यों के रूप में परिभाषित करता है जो किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने की मंशा से किए जाते हैं, जिसमें हत्या, गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचाना, या ऐसी जीवन स्थितियाँ थोपना शामिल हैं जो शारीरिक विनाश के लिए बनाई गई हों। गाजा में इजरायल के सैन्य अभियान इन मानदंडों को चिंताजनक स्पष्टता के साथ पूरा करते हैं। मानवीय सहायता पर व्यवस्थित प्रतिबंध, नागरिकों पर लक्षित हमले - जिनमें सहायता कार्यकर्ता, आपातकालीन सेवाएँ, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पत्रकार शामिल हैं - और अस्पतालों जैसी आवश्यक बुनियादी ढांचे का विनाश, गाजा में फिलिस्तीनियों के शारीरिक विनाश के लिए जानबूझकर बनाए गए हालात को दर्शाता है और 1948 के नरसंहार सम्मेलन के अनुच्छेद II के तहत नरसंहार की कानूनी परिभाषा को पूरा करता है। 21 नवंबर, 2024 को नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट, जो उन्हें भुखमरी को युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में आरोपित करते हैं, इस कानूनी मूल्यांकन की पुष्टि करते हैं।

अमनेस्टी इंटरनेशनल की दिसंबर 2024 की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला कि इजरायल की घेराबंदी, जिसने फिलिस्तीनियों को भोजन, पानी, चिकित्सा आपूर्ति और ईंधन तक पहुँच से व्यवस्थित रूप से वंचित किया, ने फिलिस्तीनी आबादी को नष्ट करने के लिए बनाए गए हालात बनाकर नरसंहार का गठन किया। संयुक्त राष्ट्र की कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों के लिए विशेष दूत, फ्रांसेस्का अल्बानेज़, ने अपनी मार्च 2024 की रिपोर्ट **एक नरसंहार की शारीरिक रचना** में नरसंहार के लिए “उचित आधार” की पहचान की, जिसमें 54,607 से अधिक फिलिस्तीनी मौतें, 100,000 घायल, और गाजा की आबादी को केवल 15 वर्ग मील में सीमित करना, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक बीमारियाँ और भुखमरी हुई। सेदे तेइमान जैसे हिरासत शिविरों में यौन हिंसा की रिपोर्टें और भी नरसंहार की मंशा को दर्शाती हैं, जो फिलिस्तीनियों की गरिमा और अस्तित्व को निशाना बनाती हैं।

इजरायली अधिकारियों की बयानबाजी इन निष्कर्षों को मजबूत करती है। राष्ट्रपति इसहाक हज़ोंग का अक्टूबर 2023 का बयान, जो सभी फिलिस्तीनियों को हमस के साथ जोड़ता है, एक संपूर्ण समूह को निशाना बनाने की मंशा का संकेत देता है, न कि केवल लड़ाकों को। स्मोट्रिच का आह्वान कि “गाजा में एक भी गेहूं का दाना नहीं जाना चाहिए” और बेन-ग्विर का गाजा और वेस्ट बैंक के विलय का समर्थन नरसंहार की मंशा को दर्शाता है। ये बयान और कार्रवाइयाँ, जो अमेरिकी सैन्य और राजनीतिक समर्थन द्वारा समर्थित हैं, न केवल अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करती हैं, बल्कि “फिर कभी नहीं” की सार्वभौमिक प्रतिबद्धता को भी धोखा देती हैं, जो होलोकॉस्ट के बाद के युग का एक आधारशिला है।

“फिर कभी नहीं” को कमजोर करना: नूरेमबर्ग की गूंज

“फिर कभी नहीं” का वादा, जो होलोकॉस्ट की भयावहता से उत्पन्न हुआ और नूरेमबर्ग ट्रायल्स में निहित हुआ, ने अत्याचारों के अपराधियों को उनके दर्जे की परवाह किए बिना जवाबदेह ठहराने की वैश्विक प्रतिबद्धता स्थापित की। नूरेमबर्ग ट्रायल्स ने नाज़ी अधिकारियों को युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार के लिए मुकदमा चलाया, उनके द्वारा ट्रिब्यूनल की वैधता पर आपत्तियों के बावजूद। अमेरिका की कार्रवाइयाँ और बयान नाज़ी तर्क को दर्शाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं। यह समानता केवल ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि गहरी प्रतीकात्मक है। नूरेमबर्ग ट्रायल्स ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि व्यक्ति, जिसमें राज्य के नेता शामिल हैं, अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी वहन करते हैं, एक सिद्धांत जो रोम क़ानून में संहिताबद्ध है, जो आईसीसी को नियंत्रित करता है। अमेरिकी प्रतिबंध, जो अपने न्यायिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जजों को निशाना बनाते हैं, रोम क़ानून के अनुच्छेद 70 lit e का उल्लंघन करते हैं, जो उनके काम के लिए अदालत के अधिकारियों के खिलाफ प्रतिशोध को प्रतिबंधित करता है। यह धमकी देने वाला कृत्य नूरेमबर्ग की विरासत को कमजोर करता है, अपराधियों को जवाबदेही से बचाता है, और एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देता है जो “फिर कभी नहीं” की प्रतिबद्धता को धोखा देती है।

अपोफिस, रा और मात की रूपक कथा

प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं में, सर्प अपोफिस, अराजकता का घृणित अवतार, हर रात अंडरवर्ल्ड में रेंगता है, सत्य, न्याय और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की पवित्र देवी मात को निगलने की कोशिश करता है, ताकि विश्व को अनंत अंधेरे में डुबो दे। सेठ अपने भाले के साथ, आइसिस अपनी जादू के साथ और थोथ अपनी बुद्धि के साथ मात की रक्षा करते हैं जब तक कि भोर नहीं आती और रा का प्रकाश अंततः अंधेरे की ताकतों को हरा देता है।

इसी तरह, गाजा में अपनी कार्रवाइयों के माध्यम से इजरायल और इसे न्याय से बचाने वाले संयुक्त राज्य ने हमारे विश्व को अंधेरे में डुबो दिया है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय, आईसीसी के 125 सदस्य देशों को, अब मात के संरक्षकों की भूमिका निभानी होगी। इजरायल और अमेरिका पर प्रतिबंध लगाएं, जैसे सेठ सर्प के दिल को भेदता है, यूरोपीय संघ के अवरोधक क़ानून को एक जादुई ढाल की तरह उपयोग करें ताकि आईसीसी और इसके अधिकारियों को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाया जा सके, और उन लोगों के खिलाफ आरोप लगाने के लिए कानूनी विशेषज्ञों की बुद्धि का उपयोग करें जो नरसंहार करते हैं और उसका समर्थन करते हैं। सत्य और न्याय के संरक्षकों को निर्णायक रूप से कार्य करना होगा ताकि विश्व अराजकता और अंधेरे में न डूब जाए।

निर्णायक अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता

आईसीसी, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों द्वारा व्यक्त की गई अमेरिकी प्रतिबंधों की केवल मौखिक निंदा, अंतरराष्ट्रीय न्याय पर इस हमले का मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को निर्णायक रूप से कार्य करना होगा ताकि आईसीसी की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके और जवाबदेही सुनिश्चित हो। सबसे पहले, आईसीसी को अमेरिकी अधिकारियों, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और विदेश सचिव मार्को रुबियो शामिल हैं, के खिलाफ रोम क़ानून के अनुच्छेद 70 lit d और e के तहत न्याय प्रशासन के खिलाफ अपराधों के लिए आरोप लगाने चाहिए। उनका कार्यकारी आदेश और प्रतिबंध अदालत के काम को बाधित करने, डराने और प्रतिशोध लेने के जानबूझकर किए गए प्रयास हैं, जो अभियोजन के मानदंडों को पूरा करते हैं। ऐसा साहसिक कदम आईसीसी की निष्पक्षता के प्रति प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करेगा और शक्तिशाली राज्यों द्वारा आगे की हस्तक्षेप को रोकेगा।

दूसरे, यूरोपीय संघ, जिसके 27 सदस्य देश रोम क़ानून के पक्षकार हैं, को अपने अवरोधक क़ानून (परिषद विनियमन (EC) नंबर 2271/96) को सक्रिय करना चाहिए ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों के extraterritorial प्रभावों का मुकाबला किया जा सके। यह विनियमन, जो विदेशी प्रतिबंधों से यूरोपीय संघ की संस्थाओं को बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, आईसीसी जजों के खिलाफ अमेरिकी उपायों का पालन करने पर रोक लगा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यूरोपीय बैंक और संस्थान जजों की संपत्तियों को फ्रीज न करें या उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित न करें। अवरोधक क़ानून को सक्रिय करके, यूरोपीय संघ अपनी क्षेत्राधिकार के भीतर आईसीसी के संचालन की रक्षा कर सकता है और संकेत दे सकता है कि वह अंतरराष्ट्रीय न्याय को कमजोर करने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगा।

तीसरे, आईसीसी के सदस्य देशों को बढ़े हुए वित्त पोषण, गिरफ्तारी वारंटों के निष्पादन में सहयोग और अदालत के जनादेश की सार्वजनिक पुष्टि के माध्यम से अपने समर्थन को मजबूत करना चाहिए। ये कार्रवाइयाँ अमेरिकी प्रतिबंधों के निराशाजनक प्रभाव का मुकाबला करेंगी, जिसके बारे में मानवाधिकार कार्यकर्ता चेतावनी देते हैं कि यह गवाहों को डरा सकता है और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में जांच को बाधित कर सकता है। निर्णायक कार्रवाई में विफलता सार्वजनिक विश्वास को अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रणाली में कमजोर करने और अन्य राज्यों को अमेरिका के उदाहरण का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने का जोखिम उठाती है, जिससे आईसीसी की विश्व भर में अत्याचारों के पीड़ितों को न्याय प्रदान करने की क्षमता और कमजोर हो जाती है।

निष्कर्ष: न्याय का संतुलन बहाल करना

आईसीसी जजों के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय न्याय के सिद्धांतों पर एक सीधा हमला है, जो नूरेमबर्ग में नाज़ी अधिकारियों की अवज्ञा को प्रतिबिंबित करता है और “फिर कभी नहीं” के वादे को कमजोर करता है। गाजा में इजरायल की कार्रवाइयाँ, जो नरसंहार की मंशा के साथ व्यवस्थित सामूहिक हत्या की विशेषता रखती हैं, जवाबदेही की मांग करती हैं, फिर भी अमेरिकी हस्तक्षेप अपराधियों को बचाता है और दण्डमुक्ति को बनाए रखता है। अपोफिस, रा और मात की रूपक कथा दांव पर लगे मुद्दों को रेखांकित करती है: अराजकता को प्रबल होने देना उस वैश्विक व्यवस्था को खतरे में डालता है जो सत्य और न्याय को बनाए रखता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को निर्णायक रूप से कार्य करना होगा, अमेरिकी अधिकारियों ट्रम्प और रुबियो के खिलाफ आईसीसी द्वारा न्याय में बाधा डालने के लिए आरोप लगाना होगा और अदालत और इसके अधिकारियों की रक्षा के लिए यूरोपीय संघ के अवरोधक क़ानून को सक्रिय करना होगा। केवल इस तरह के दृढ़ उपायों के माध्यम से नूरेमबर्ग की विरासत को संरक्षित किया जा सकता है। इजरायल की क्रूर आक्रामकता के पीड़ित न्याय की मांग करते हैं और इसके हकदार हैं।